



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4206]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 4206]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 107/2019

का.आ. 4708(अ).—आयकर अधिनियम, 1961('अधिनियम')(1961 का 43) की धारा 139कक की धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा का.आ. संख्या 3539(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3 के उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 28 सितम्बर, 2019 की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में संशोधन करती है:-

2. उक्त अधिसूचना में:-

31 दिसम्बर, 2019 को **31 मार्च, 2020** द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 225/75/2019-आईटीए-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव (आईटीए-II), सीबीडीटी